

अनुमति की शर्तें ।

- (i) तमाम भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम को कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नवरो के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्वातंत्र्य सिडकी केवल आताम्बीय प्रमोजनम्बी

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 452 दिनांक 17/01/2020

प्राप्ति मन्दीलाल प्रजापत डा० श्री आशाशम

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मालविक कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण शर्तें रुपये 12672/- (12672/-)

जरिये स्वीद संख्या 1028/9798, 9799

दिनांक 17/01/2020 को जमा कता दी है ।

17/1/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

जी+1

आताम्बीय

ATTEST
NOTARY